**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 28/2014 (बांसवाड़ा डिक्री)**

1. कमलेश कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्रसिंह पत्नी जितेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी हाऊसिंग बोर्ड, सेक्टर नं. 5, मकान नंबर 5/35, डूंगरपुर (राज.)
2. योगेन्द्र कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्रसिंह पत्नी हर्षवर्धनसिंह, जाति राजपूत, निवासी नव लंका कम्पा फार्म डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सुश्री हिनुराज कुमारी पुत्री श्री राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी गनोडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती हेमेन्द्र कुंवर बेवा श्री राजेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी गनोडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. योगेन्द्रसिंह पिता श्री महेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी गनोडा, हाल निवासी साजन–सजनी वाटिका के पास, रातीतलाई, बांसवाड़ा (राज.)
2. जयेन्द्रसिंह पिता श्री महेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी गनोडा, हाल निवासी साजन–सजनी वाटिका के पास, रातीतलाई, बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती गिरेन्द्र कुंवर बेवा श्री महेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी गनोडा, हाल निवासी साजन–सजनी वाटिका के पास, रातीतलाई, बांसवाड़ा (राज.)
4. पुष्पेन्द्रसिंह पिता श्री लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत, निवासी गनोडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. भूमिधारी तहसीलदार, गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
दिनांक 24–09–2014 प्र.सं. 85/12

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभि. रेस्पो.सं. 2, 3, 4
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

**निर्णय दिनांक 06–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की है तथा पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है, जिसके अनुसार मूल पुरूष लक्ष्मणसिंह जी के तीन पुत्र महेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह व पुष्पेन्द्रसिंह हुए, जिससे प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। महेन्द्र के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं, पुष्पेन्द्रसिंह प्रतिवादी संख्या 4 है तथा वादीगण राजेन्द्रसिंह की वारिस हैं, जिससे उनका भी उक्त भूमियों में 1/3 हिस्सा है। भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतएवं नियमानुसार विभाजन करवाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से गिरेन्द्र कुंवर ने सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा एकतरफा कार्यवाही को अपास्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में थी एवं इस दौरान दिनांक 27–05–2014 को प्रतिवादी डी.डब्ल्यू.1 धीरेन्द्र कुंवर के बयान लिये गये। दिनांक 08–06–2014 को उभयपक्षों की सहमति से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी की साक्ष्य दिनांक 16–09–2014 को बन्द कर दी तथा प्रकरण में दिनांक 23–09–2014 को उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद दिनांक 24–09–2014 को पूर्व में प्राप्त कब्जा रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–12–2014 को प्रस्तुत की।

नकल दिये जाने में हुए विलम्ब के दृष्टिगण अपील मयाद में मानी जाकर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं साक्ष्य के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जिम्मे की दोनों तनकियात को वादीगण से साबित कराया था, जबकि तनकी नंबर 3 व 4 प्रतिवादीगण द्वारा साबित नहीं करवायी गयी है तथा तहसीलदार ने भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया था। अपीलान्ट/वादीगण की जानकारी के बिना बनाये गये पटवारी द्वारा बनाये गये पर्चा मौका के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–06–2014 को उभयपक्षों की सहमति से कब्जा रिपोर्ट तलब की थी तथा उक्त कब्जा रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की गयी थी। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त कब्जा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में प्रतिवादी की साक्ष्य ली, परन्तु साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये बिना पटवारी द्वारा प्राप्त कब्जा रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधिक के प्रतिकूल होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24–09–2014 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर

अपनी शक्तियां राजस्व अधिकारियों को प्रत्योजित कर तथा उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब कर उभयपक्षों की आपत्तियां यदि प्राप्त होती हैं तो उनका निस्तारण कर प्रकरण में विधिक अनुसार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

**जीवा पिता बदिया, जाति सरगड़ा, निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य** बनाम **नटवर पिता लालजी, जाति सरगड़ा, निवासी घाटोल, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**26 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....02**.....माह.....**06**.....**2015**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**05**.....सन् **2017** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री यशपाल गुप्ता** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री हीरालाल जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02–06–2015 यथावत रखी जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**05**.....**2017** को जारी किया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।